आप्रवासन और सीमा शुल्क और प्रवर्तन (IMMIGRATION AND CUSTOMS AND ENFORCEMENT, ICE) के बारे में बात करते समय अपने अधिकारों को जानें

Cook काउंटी में रहने वाले हर व्यक्ति, जिसमें बिना दस्तावेज़ वाले लोग और अन्य लोग जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, उन्हें उनकी आव्रजन स्थिति पर ध्यान दिए बिना संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी आप्रवासन एजेंटों या आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की सहायता के लिए नामित एजेंसियों के साथ बातचीत करते समय, आपको अपने अधिकारों को समझने में मदद करने के लिए तैयार की गई है।

अगर आप बाहर हैं और आपको लगता है कि आपने अपने आस-पास आप्रवासन अधिकारियों कोदेखा है:

- किसी सुरक्षित स्थान में भीतर चले जाएँ।
- अगर आप एक अमेरिकी नागरिक हैं और ऐसा करने में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने फ़ोन से गतिविधि को रिकॉर्ड करें या आप जो भी देख रहे हैं उसके बारे में कोई भी प्रासंगिक जानकारी लिखें - हमेशा हस्तक्षेप न करने या अन्यत्र संचालन में रुकावट डालने को लेकर सावधान रहें।
- ऐसा न करें:
    - सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी पोस्ट करें।
    - जाँच में हस्तक्षेप करें या अन्यत्र खुद को नुकसान पहुँचाएँ।

अगर आपका सामना किसी आप्रवासन एजेंट से होता है:

- आपको शांत रहना चाहिए और अपने हाथ वहाँ रखने चाहिए जहाँ अधिकारी या एजेंट उन्हें देख सकें।
- आपको चुप रहने का अधिकार है और आपको किसी भी सवाल का जवाब देने की अनिवार्यता नहीं है। आपको आव्रजन एजेंट को बताना चाहिए कि आप चुप रहना चाहते हैं।
- आपको अपने आप्रवासन या नागरिकता की स्थिति या अपने जन्म के देश के बारे में पुलिस, आप्रवासन एजेंटों या अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल किए जाने पर आपको चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।
- अगर आपके पास आव्रजन संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज है, जैसे कि स्थायी निवासी कार्ड, रोज़गार अधिकार कार्ड, या देशीयकरण का प्रमाण पत्र, तो आप मांगे जाने पर किसी आव्रजन एजेंट को अपना दस्तावेज़ दिखा सकते हैं।
- अगर एजेंट को लगता है कि आप हथियार ले जा रहे हैं, तो वह आपकी तलाशी ले सकता है।

अगर आप्रवासन या अन्य संघीय एजेंट आपके घर आते हैं:

- अगर आप्रवासन या अन्य संघीय एजेंट आपके घर आते हैं और उनके पास न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट नहीं है, तो अपना दरवाज़ा न खोलें। ज़्यादातर समय, ICE के पास केवल एक प्रशासनिक वारंट होता है, जिस पर ICE एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, किसी न्यायाधीश द्वारा नहीं । आपको प्रशासनिक वारंट के आधार पर दरवाज़ा खोलने की अनिवार्यता नहीं है।

- अगर आप अनिश्चित हैं कि वह व्यक्ति आव्रजन एजेंट है या अन्यत्र ICE के साथ काम कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि वे किस एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और खासतौर पर अगर वे आव्रजन एजेंट हैं या ICE के साथ काम कर रहे हैं।

- अगर एजेंट कहते हैं कि उनके पास वारंट है, तो आपको उन्हें अंदर आने देने से पहले वारंट देखने के लिए कहना चाहिए।

- अगर वारंट किसी अदालत द्वारा जारी किया गया है और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित है, तो एजेंट आपकी अनुमति के बिना आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर दस्तावेज़ पर न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तो आपके लिए उन्हें अंदर जाने की अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। आप कह सकते हैं: "आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है।"

- अगर एजेंट आपके घर में जबरदस्ती घुसते हैं, तो विरोध न करें। आप उन्हें बता सकते हैं: "आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं किसी तलाशी के लिए सहमति नहीं देता। मैं चुप रहना चाहता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके एक वकील से बात करना चाहता हूँ।"

- आप एजेंटों से पूछ सकते हैं कि वे वहाँ क्यों हैं।

- अगर वे आपकी भाषा नहीं बोलते हैं, तो आप दुभाषिया की माँग कर सकते हैं।

अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है:

- गिरफ़्तारी का विरोध करने की कोशिश न करें।

- आप किसी वकील से बात करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- आप दुभाषिया से बात करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- याद रखें, आपको चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी वकील से बात करने से पहले कुछ भी नहीं कहना है या किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। एजेंट से झूठ मत बोलो।

- आपको अपने मामले के बारे में कोई भी फ़ैसला लेने या किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले एक आव्रजन वकील से परामर्श करने का अधिकार है। अगर आप इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो कोई भी आपको अंतिम निर्णय लेने या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

अहम रिमाइंडर

- अगर आपके पास अपना "एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर" ("एक नंबर") है तो उसे याद रखें।
- अगर आपके पास आव्रजन दस्तावेज़ हैं, तो हमेशा अपने आव्रजन संबंधी वैध कागजात अपने साथ रखें।
- अपने मूल देश से दस्तावेज़, जैसे कि आपका विदेशी पासपोर्ट या मैट्रिकुला कांसुलर, अपने साथ न रखें।

- झूठे या कपटपूर्ण दस्तावेज़ न रखें और किसी आव्रजन एजेंट को कभी भी गलत जानकारी या ग़लत या धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ न दें।

Cook काउंटी **पब्लिक डिफ़ेंडर का कार्यालय आप्रवासन प्रभाग (Public Defender's Office Immigration Division)**

Cook काउंटी पब्लिक डिफ़ेंडर कार्यालय (Cook County Public Defender's Office)के आव्रजन प्रभाग का उद्देश्य गैर-नागरिक व्यक्तियों को निर्वासन से बचाना है। यह प्रभाग Cook काउंटी के सर्किट कोर्ट के समक्ष व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक सार्वजनिक रक्षकों के साथ काम करता है, ताकि उनके Cook काउंटी संबंधी मामलों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रतिकूल आव्रजन संबंधी परिणामों का पता लगाया जा सके और वैकल्पिक समाधानों का सुझाव दिया जा सके। हमारे वकील आप्रवासन न्यायालयों के सामने मौजूदा और पूर्व सार्वजनिक रक्षक व्यक्तियों के साथ-साथ गैर-नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ICE द्वारा हिरासत में लिया गया है और आप Cook काउंटी के निवासी हैं, तो हॉटलाइन घंटों के दौरान पब्लिक डिफ़ेंडर के आव्रजन प्रभाग से 312-603-0636 पर संपर्क करें: बुधवार सुबह 9-11 बजे या pdimmigrationunit@cookcountyil.gov पर ईमेल करें।

आप्रवासन प्रभाग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारे आप्रवासन प्रभाग संसाधन के वेबपेज के लिए https://www.cookcountypublicdefender.org/resources/immigration-division पर जाएँ।

अतिरिक्त संसाधन

Chicago ICE जिले में हिरासत में लिए गए और कानूनी प्रतिनिधित्व चाहने वाले गैर-Cook काउंटी निवासी मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय आप्रवासी न्याय केंद्र के डिटेंशन प्रोजेक्ट (National Immigrant Justice Center’s Detention Project)को 773-672-6599 पर कॉल कर सकते हैं।

अगर आप आप्रवासन प्रवर्तन गतिविधि देखते हैं या आपको हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति का पता लगाने में सहायता की आवश्यकता है, तो आप निर्वासन के खिलाफ संगठित समुदायों की (Organized Communities Against Deportation, OCAD) निर्वासन सहायता हॉटलाइन को 1-855-435-7693 पर कॉल कर सकते हैं। यही नंबर आप्रवासी और शरणार्थी अधिकारों (Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, ICIRR) परिवार सहायता हॉटलाइन के लिए Illinois गठबंधन का भी है।

आप्रवासन प्रभाग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारे आप्रवासन प्रभाग संसाधन के वेबपेज के लिए https://www.cookcountypublicdefender.org/resources/immigration-division पर जाएँ।

अप्रवासियों के लिए Cook काउंटी संबंधी संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Cook काउंटी के आप्रवासन संसाधन के वेबपेज के लिए https://www.cookcountyil.gov/immigration पर जाएँ।

स्थानीय पुलिस द्वारा Cook काउंटी में गिरफ़्तार किसी भी व्यक्ति के लिए सहायता

Cook काउंटी पब्लिक डिफ़ेंडर दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन अरेस्ट हॉटलाइन (Arrest Hotline) भी संचालित करता है। अगर आप या आपका कोई परिचित Chicago या Cook काउंटी के किसी अन्य शहर या कस्बे में कानून प्रवर्तन हिरासत में है, तो अरेस्ट हॉटलाइन 844-817-4448 पर कॉल करें। Cook काउंटी पब्लिक डिफ़ेंडर के कार्यालय से एक वकील आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए बिना किसी शुल्क के पुलिस स्टेशन आएगा। अगर आपको स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किया जाता है, तो आपको चुप रहने का अधिकार है। आपको कहना चाहिए, "मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूँ।"